हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

तेरहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 121

मंगलवार, 17 नवम्बर, 2026/26 कार्तिक, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नकाल आरम्भ होने से पूर्व ही **माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** ने विषय उठाया कि विपक्ष के माननीय सदस्यों सर्वश्री बिक्रम सिंह, श्री सुधीर शर्मा और डॉ0 हंस राज की ओर से नियम-67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव/नोटिस दिया गया है सर्वप्रथम उस पर फैसला किया जाए और आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस में लगे विषयों को स्थगित करके सबसे पहले नियम-67 के अंतर्गत दिए गए विषय पर चर्चा करवाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कल शोकोद्गार के बाद जब मान्य सदन की बैठक स्थगित की गई थी तो उससे पहले माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रश्नोत्तर मद के अलावा बाकी सारे विषय दिनांक 17 नवम्बर, 2026 के लिए स्थगित किए जाते हैं लेकिन उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। पिछले कल नियम-130 में श्री केवल सिंह पठानिया की ओर से प्रस्ताव लगा था कि "प्रदेश की प्रशासनिक ईकाइयों के पुनर्गठन पर यह सदन विचार करे", लेकिन आज की लिस्ट ऑफ बिज़नेस में उसे बदलकर "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा BBMB, JSW एवं Wild Flower Hall से सन्दर्भित निर्णयों तथा किशाऊ बांध समझौते से प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण बारे यह सदन विचार करे" विषय लगा दिया गया है। जबकि होना यह चाहिए था कि यदि नियम-130 के अन्तर्गत पहला प्रस्ताव विलोपित होता है तो उसके बाद माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल द्वारा दिए गए विषय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। विपक्ष इन सारी बातों के कारण पीड़ा महसूस कर रहा है और चाहता है कि इन विषयों पर अध्यक्ष महोदय फैसला करें।

इस संदर्भ में माननीय उप मुख्य मंत्री ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि सरकार ने जो बी0बी0एम0बी0, जे0एस0डब्ल्यू0 एवं वाइल्ड फ्लावर हॉल के सम्बन्ध में हिमाचल के हकों की लड़ाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ी है जिससे हज़ारों करोड़ रुपये का हिमाचल प्रदेश

को फायदा हुआ है उस पर सर्वप्रथम चर्चा हो। यदि नियम-130 में यह विषय पहले लगा है तो वह बिल्कुल सही है इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश को हज़ारों करोड़ रुपये का फायदा होने जा रहा है। विपक्ष की ओर से भी यह रेजोल्यूशन आना चाहिए था कि इसके लिए सरकार को बधाई दी जाए कि उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ी है। सरकार विपक्ष की ओर से दिए गए हर प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दो विषय उठाए हैं। पहला विषय यह है कि कल मैंने व्यवस्था दी थी कि पिछले कल का बिजनेस आज की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा। आप अगर कार्यसूची में देखेंगे, जिस नोटिस का आप रेफरैंस दे रहे हैं वह पहले से ही हमारे पास रिसीव्ड है। जब विधान सभा को इन विषयों की प्राथमिकता तय करनी थी तो हमें लगा कि यह विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम पहले नम्बर पर लगाते हैं क्योंकि सभी सदस्यों के अनेक विषय आए हैं। चूंकि सभी माननीय सदस्यों के बहुत सारे इश्यूज आए हैं। किसी का एक, किसी के तीन और किसी के चार विषय हैं इसलिए हमें कार्यसूची में इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा है कि विपक्ष के सदस्यों के विषय भी शामिल हों और सत्ता पक्ष के सदस्यों के विषय भी शामिल हों ताकि कार्यसूची एकतरफा न हो। इसी आधार पर हमने प्राथमिकता तय की थी। लेकिन कल माननीय सदस्य ने लिखित रूप में दिया कि वह इस विषय को वापस लेते हैं। We permitted that and that is my prerogative. अभी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चौदहवीं विधान सभा में अब तक नियम-67 के अंतर्गत लगभग 13 एडजॉर्नमैंट मोशन्ज इस माननीय सदन में डिस्कस हुए हैं। इनमें से केवल तीन प्रस्ताव अस्वीकार किए गए हैं। Rest, all the Notices/Motions under Rule-67 brought by the Members of the Opposition, have been admitted and discussed in this Hon'ble House. It is very open.

Now I am admitting notice under Rule-67 because the Government is ready to get it discussed in the Hon'ble House. I am ready to admit it. Therefore, the items, which have been listed for today's Business, Question Hour also, the rest of the items will take the second priority and I will request the Hon'ble Leader of the Opposition to start the discussion under Rule-67."

नियम-67 के अन्तर्गत दिए गए स्थगन प्रस्ताव - "आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल - 'Himachal on sale' पर यह सदन अविलंभ चर्चा करे।" पर निम्नलिखित ने भाग लिया:-

1. **श्री जय राम ठाकुर, माननीय नेता प्रतिपक्ष**

माननीय उप मुख्य मंत्री ने बसों की खरीद के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कम्पनी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई है और पिछले तीन महीनों से सिर्फ ट्रायल ही चल रहा है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि चाईना की गाड़ियां खरीदी गई हैं जबकि वास्तविकता यह है कि इनके समय में चाईना की बैटरी वाली गाड़ियां आई थीं, अब भी वही आ रही हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है।

माननीय उद्योग मंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इनके पास कोई सब्स्टान्स नहीं है, कोई नोटिफिकेशन या दस्तावेज़ नहीं है। ये घबरा गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट की बात चल पड़ी है। न तो पीटर हॉफ को बेचने का कोई सौदा चल रहा है और न ही अन्य किसी संस्थान या होटल को बेचने का सौदा चल रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि इनके समय में सारे होटलों को बेचने की बुकलेट आ गई थी। विपक्ष के तौर पर श्री जय राम ठाकुर पूरी तरह से फेल हो गए हैं, सरकार मिशन रिपीट की तरफ बढ़ रही है। प्रतिपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Since the reference of the Vidhan Sabha has come and I have clarified it before also. The Government has no authority to take any decision so far the Vidhan Sabha is concerned.

Secondly, this Vidhan Sabha premises is to be utilized in a much better way because we are sitting here for six-seven days. We want to utilize this whole premises for training programs and various other activities of the Lok Sabha and rest of the State Legislative Assembles also.

We are likely to construct a Convention Centre here. We are planning to make the residences of the Hon'ble MLAs nearby in the shape of a hotel. When the Hon'ble MLAs are here they will be utilizing them as accommodation and when there is no such kind of

activity then that will be put to the use by some agency. Please don't put reference of Vidhan Sabha time and again."

2. **श्री बिक्रम सिंह, माननीय सदस्य**

बस अड्डा हमीरपुर के सम्बन्ध में माननीय उप मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया कि बस अड्डों को लेकर नई नीति फॉरम्यूलेट हो चुकी है जिसके तहत बस अड्डे अब जी0ए0डी0 के अधीन हैं ट्रांसपोर्ट के अधीन नहीं है।

माननीय उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग्स पार्क के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बल्क ड्रग पार्क में लगभग 275 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं। दो महीने के अंदर लैंड अलॉट भी कर दी जाएगी और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने जो डैडलाइन दी है उस समयसीमा में इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की है क्योंकि बल्क ड्रग पार्क, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी अलॉट हुआ है। मॉनिटरिंग में इन तीनों स्टेट्स से in terms of development and work हिमाचल प्रदेश आगे है। फेयरनैस और पारदर्शिता के आधार पर ही सभी कार्य किए जाएंगे और टाइमलाइन के भीतर इसको पूरा किया जाएगा।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने चेस्टर हिल प्रोजैक्ट के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह एक ड्यूबियस प्रैक्टिस थी जो बी0जे0पी0 सरकार के समय से चलती आ रही थी। कुछ रियल एस्टेट डवलपर्स लैंड टेनेंसी एक्ट की धारा-118 को बाईपास करने के लिए हिमाचल के लैंड ऑनर्स के साथ ज्वॉइंट डवलपमैंट एग्रीमैंट करके ऐसे प्रोजैक्ट लाते थे। कांग्रेस सरकार ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया है। अब इस तरह के किसी भी जे0डी0ए0 को अलाउ नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा सिस्टम को मैनिपुलेट करके इसका लाभ उठाया जा रहा था। इस संबंध में जो वायलेशन्स हुई हैं उनकी इंक्वायरी हो रही है और भविष्य में इस तरह के जे0डी0ए0 को सरकार ने बंद कर दिया है।

(12.57 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.10 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

नियम-67 के अंतर्गत दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर आगे निम्नलिखित ने भाग लिया :-

3. **श्री राम कुमार, माननीय सदस्य**
4. **डॉ0 हंस राज, माननीय सदस्य**

Ruling by the Hon'ble Speaker

"I would request the Hon'ble Members to confine themselves to the corruption charges rather than raising issues relating to policy matters and administrative matters."

5. **श्री सुरेश कुमार, माननीय सदस्य**

(3.02 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

6. **श्री सुधीर शर्मा, माननीय सदस्य**

माननीय मुख्य मंत्री ने हिमाचल ऑन सेल के संदर्भ में उठाए गए विषय, व्हाइट पेपर कमेटी के गठन, मेडिकल डिवाइस पार्क, एम0आर0आई0 व रोबोटिक सर्जरी की मशीनों की खरीद, हिमकेयर योजना में हुई अनियमितताओं, हिम चंडीगढ़ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए विस्तारपूर्वक सरकार का पक्ष रखा।

7. **श्री हरदीप सिंह बावा, माननीय सदस्य**
8. **डॉ0 जनक राज, माननीय सदस्य, अनुपस्थित**
9. **श्री बलबीर सिंह वर्मा, माननीय सदस्य**

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य को धारा-118 के उल्लंघन के 500 मामलों में से एक-दो मामले सरकार के ध्यान में लाने की हिदायत दी और आश्वासन दिया कि वे समस्त मामलों को मंगवाकर उनमें ओर इंक्वायरी करवाएंगे तथा ऐक्शन भी लिया जाएगा।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने विषय उठाते हुए कहा कि जो मामले चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं वे सारे के सारे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ दर्ज किए गए हैं। जिन माननीय सदस्यों के कांग्रेस के साथ राजनीतिक

दृष्टि से विचार नहीं मिल पाए और वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए उनके पीछे माननीय मुख्य मंत्री पड़ गए हैं जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बातें हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं हुई हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। जिनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामले दर्ज किए गए हैं उनमें कोई चार्जशीट या चालान पेश नहीं हुआ है। आठ-आठ घंटे तक किसी चुने हुए प्रतिनिधि को पुलिस स्टेशन में बिठाकर रखना उचित नहीं है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामले दर्ज करना देवभूमि में कदापि उचित नहीं है।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और जब तथ्य सामने आए तभी लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और कइयों के खिलाफ चार्जशीट भी दर्ज हुई है। सरकार ने जितनी भी कार्रवाई की है वह तथ्यों के आधार पर की है और किसी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

10. **श्री चंद्रशेखर, माननीय सदस्य**
11. **श्री विनोद कुमार, माननीय सदस्य (क्रमागत)**

5.00 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****